12'

आदेश	कार्यवाही विवरण
21 18/6/24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/6/24 को पेश हो।
2 28/6/24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित बहस आज्ञाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की अविभाजित आराजी है जिसका विभाजन करवाने हेतु वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। विभाजन करवाये बिना अप्रार्थीगण उक्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा है अतः उन्हें न्यायालय द्वारा के आदेश दिनांक 06.02.23 द्वारा अंतरिम आज्ञाई निषेधाज्ञा से राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाने हेतु पाबन्द किया जा चुका है। अप्रार्थी सं. 25 के अलावा कोई भी उपस्थित भी नहीं आया है अतः न्यायालय द्वारा के आदेश दिनांक 06.02.23 को कन्फर्म किया जाये। वकील अप्रार्थी सं. 25 ने निवेदन किया कि उसने अप्रार्थी सं. 01 से उसका सम्पूर्ण हिस्सा 1/12 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.6.2016 को क्रय कर लिया है अतः उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु आज्ञाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाये। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उससे स्पष्ट है कि
22	विवादित आराजी ख.न. 266, 267, 268, 297, 298, 299 ग्राम चैनगढ़ प्रार्थी व अप्रार्थीगण की अविभाजित आराजी है जिसका विभाजन का वाद प्रार्थी ने प्रस्तुत किया है। अगर बिना विभाजन आराजी में से कुछ हिस्सा विक्रय किया जाता है तो वाद के निस्तारण में अनावश्यक

P.T.O.

कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

विलम्ब होगा तथा विवाद बढ़ने की आशंका है। जहाँ तक अप्रार्थी सं. 25 का जमीन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि पूर्व में ही क्रय करने का सवाल है, तो उसे मूल वाद में पक्षकार बनाया जा चुका है तथा न्यायालय के प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 18.6.24 में इसका हवाला दिया जाकर उसके हक हिस्से का भी विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी की जा चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है इसलिए न्यायालय हाजा के अंतरिम आदेश को कन्फर्म किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा के अंतरिम आदेश दिनांक 06.02.23 को मूलवाद के निस्ताए तक कन्फर्म किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्ताए तक खसरा नं० 266, 267, 268, 297, 298, 299 वाके ग्राम चैनगढ़ (मोहनवाड़ी) के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28/6/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/06/24

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़